न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 102 / 2021

अनवान : –

1. सुमित्रा पत्नी गौरीशंकर जाति जाट निवासी गुडिया तहसील तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. कुन्ता पुत्री गोरीशंकर जाति जाट निवासी गुडिया तहसील तहसील नोहर।

– प्रार्थीगण

बनाम्

1. रोशनी पत्नी राजेश कुमार पुत्र गोरीशंकर जाति जाट निवासी गुडिया तहसील तहसील नोहर।
2. राजेश कुमार पुत्र गोरीशंकर जाति जाट निवासी गुडिया तहसील तहसील नोहर ।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
4. पंजीयक कार्यालय रामगढ़ तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता **सायल**
श्री रविन्द्र कुमार गोदार अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः 28/01/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा 15 जेएसएन–बी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 32/29 के प०नं० 341/403 (10) किला नं. 4/1 की 0.227 है०, 4/2 की 0. 026 है0, 5/1 की 0.114 है0, 5/3 की 0.011 है0, 6/1 की 0.227 है0, 6/2 की 0.026 है0, 7 की 0.253 है0, 8 की 0.253 है०, प० नं0 342/403 (11) किला नं. 9 की 0. 253 है0, 10 की 0. 253 है0, 12 की 0.253 है०, कुल क्षेत्रफल 1.8960 है० कृषि भूमि में गोरीशंकर पुत्र डुंगरराम के नाम 197/1185 हिस्सा व रोशनी पत्नी राजेश कुमार के नाम 988/1185 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा रोही मौजा 15 जेएसएन–बी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 169/32 के प० नं० 341/403 (10) के किला नं. 1/1 की 0.227 है0, 1/2 की 0.026 है0, 2/1 की 0.025 है० कुल क्षेत्रफल 0.278 है० कृषि भूमि रोशनी पत्नी राजेश कुमार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपरोक्त विवादित कृषि भूमि में सायला नं. 1 के ससुर व सायला नं. 2 के दादा डुंगर पुत्र खेता जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी एवं बाद फोतदगी उपरोक्त कृषि भूमि उनके पुत्र गोरीशंकर पुत्र डुंगरराम जाति जाट निवासी गुडिया के नाम दर्ज हुई थी। गोरीशंकर पुत्र डुंगरराम की दिनांक 10.09.2020 को मृत्यु हो चुकी है। गोरीशंकर फोत होने पर इनके सायला नं. 1 पत्नी सुमित्रा सायला नं. 2 पुत्री कुन्ता व गैरसायल नं. 2 पुत्र राजेश कुमार ही तीन वारिस है। गैरसायल नं. 1 रोशनी जो राजेश पुत्र गोरीशंकर की पत्नी है। विवादित कृषि भूमि दादालाई कृषि भूमि [illegible] जिसमें सायलान व गैरसायल नं. 2 का जन्म से हक व हिस्सा है। विवादित कृषि [illegible] कर्ता हिन्द खानदान दर्ज हुई थी जो पैतृक कृषि भूमि है जिसमें सायलान का जन्म से हक व हिस्सा [illegible] ठल ठपतजी त्पहीज है। इसलिए विवादित भूमि में सायलान व गैरसायल नं, 2 का ब० हि० ब० के खातेदार काश्तकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 11:04:48 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादग्रस्त कृषि भूमि में गोरीशंकर पुत्र डुंगरराम के नाम अपने पिता ढुंगर पुत्र खेता से 12 बीघा जमीन प्राप्त हुई थी जिसमें 4 बीघा भूमि पहले ही बेचान कर चुका था उसके बाद खाता संख्या 169/32 की कुल तादादी 0.278 है० अपनी पुत्र वधु रोशनी पत्नी राजेश कुमार के नाम बेयनामा के आधार पर नाम दर्ज करवा दी तथा खाता संख्या 32/29 की कुल 1.8960 है0 कृषि भूमि में से 988/1185 हिस्सा भूमि अपनी पुत्र वधु के नाम दानपात्र के आधार पर नाम दर्ज करवा दी थी। गोरीशंकर पुत्र डुंगरराम की मानसिक स्थिति सही नहीं थी तथा शराब पीने का आदि था इसलिए गलत आदतों के कारण व मानसिक स्थिति सही नहीं होने के कारण पुत्र व पुत्र वधु ने धोखे में जमीन का दान–पात्र से अपने नाम दर्ज करवा ली लेकिन वादग्रस्त भूमि में सायला नं. 1 व 2 तथा गैरसायल नं. 2 का हक व हिस्सा है दादालाई कृषि भूमि में गोरीशंकर का हिस्सा 1/3 जो पहले ही बेच चुका था फिर भी बाकी भूमि को दान–पात्र से नाम करवा दी थी। वादग्रस्त भूमि में सायलान का जन्म से हक हिस्सा है किन्तु गैरसायल नं. 1 व 2 ने नाजायज तरीके से भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली गैरसायल नं. 1 ने अपने दान–पत्र के आधार पर नाम दर्ज करवाई है गोरीशंकर की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने के साथ उनके हक हिस्सा से ज्यादा भूमि को दान–पात्र के द्वारा नाम दर्ज करवाई है। जिससे राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम 1955 से कोई खातेदारी अधिकारी प्राप्त नहीं होते जिससे दान–पत्र शुरू से शुन्य है इसलिए जो दस्तावेज शुन्य हो उसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में भूमि प्राप्त नहीं होती है अतः दान–पत्र शुरू से शुन्य है और खारिज है और भूमि काश्तकारी अधिनियम के तहत उसके वारिसों को प्राप्त होगी। गैरसायल स0 1 के नाम अनुचित तरीके से दर्ज होने के कारण गेरसायल स0 1 अपने नाम दर्ज भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल करना चाहती है इसलिए गैरसायल स0 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा चक 15 जेएसएन बी के खाता संख्या 32/39 की कुल 1.8960 हैक्ट व रोही मौजा चक 15 जेएसएन बी के खाता संख्या 169/32 की कुल 0.278हैक्ट भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण स0 1 ता 2 उक्त वाद भूमि में प्रार्थीगण के हिस्सा के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थी स0 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की गोरीशंकर द्वारा दानपत्र किया गया उस समय गोरीशंकर बिल्कुल स्वस्थ थे गोरीशंकर ने रोबरू गवाहान दिनांक 21.11.2019 को सब रजिस्टार रामगढ में दानपत्र तहरीर करवाया था। बैयनामा/दानपत्र रजिस्टर्ड दस्तावेज है जिससे सुनने का अधिकारी सिविल न्यायालय को है सायलान द्वारा गैरसायलान को तंग व परेशान करे के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः जवाब प्रार्थना पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वादग्रस्त भूमि बाबत हको का निर्धारण विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होगा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रोही मौजा चक 15 जेएसएन बी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 11:04:48 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

खाता संख्या 32/39 की कुल 1.8960 हैक्ट भूमि में से 988/1185 हिस्सा भूमि व रोही मौजा चक 15 जेएसएन बी के खाता संख्या 169/32 की कुल 0.278हैक्ट भूमि अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण का कथन है कि उक्त भूमि पूर्व में प्रार्थीगण के पिता के पिता डूंगर के नाम दर्ज थी एवं डूंगर के बंद प्रार्थीगण के पिता गोरीशंकर के नाम दर्ज हुई परन्तु गोरीशंकर ने अपने हक हिस्सा से ज्यादा अपनी पुत्र वधु के पक्ष में दानपत्र करवा दिया जो की प्रार्थीयान के हकों के मुकाबले प्रभावहीन है। जबकि अप्रार्थीगण का कथन है कि उक्त भूमि अप्रार्थीगण के नाम जरिये दानपत्र/बैयनामा दर्ज हुई है जिसमे प्रार्थीगण का कोई हक हिस्सा नही है तथा दानपत्र/बैयनामा को सुनने का अधिकारी सिविल न्यायालय को है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के मुताबिक उक्त भूमि पूर्व में प्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम रही है एवं प्रार्थीगण के पिता द्वारा गैरसायल स0 1 के पक्ष में दानपत्र किया गया है उक्त दानपत्र प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निर्णय के मुताबिक माननीय सिविल न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। वाद भूमि पूर्व में प्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम दर्ज होने के कारण उक्त भूमि पैतृक भूमि है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण एक ही परिवार के है। अर्थात विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है। हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है, वादग्रस्त भूमि को पैतृक, मौरूसी एवं स्वअर्जित सम्पति होना और पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में हक निर्धारण होना शेष है जो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा और स्पष्टतः विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है और जहां विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य हो वहां रिकार्डेड खातेदार को भी निषिद्ध किया जा सकता है ताकि भविष्य में वाद बाहुल्यता को रोका जा सकें। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। जब प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म नही की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीयान को होगी न की अप्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व अप्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण स0 1 इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा चक 15 जेएसएन बी के खाता संख्या 32/39 की कुल 1.8960 हैक्ट व रोही मौजा चक 15 जेएसएन बी के खाता संख्या 169/32 की कुल 0.278हैक्ट भूमि में प्रार्थीगणा के हिस्सा की न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 28/01/26 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 11:04:48 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर